बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज की ओर से दिनांक 29 जुलाई, 2019 को आयोजित उद्यमी पंचायत में ''बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के मध्यावधि समीक्षा पर चर्चा'' में प्रस्तुत सुझाव

राज्य में औद्योगिक विकास हेतु वर्तमान में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 लागू है जो पॉच साल के लिए प्रभावी है । बिहार में औद्योगिकरण के लिए 2016 कि प्रोत्साहन नीति में कई एक सराहनीय कदम उठाए गए हैं जिसके लिए राज्य सरकार के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं तथा नीति को और प्रभावी बनाने हेतु बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से आपके समक्ष निम्नांकित सुझाव प्रस्तुत करते हैं :—

(1) **बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अंतर्गत औद्योगिक इकाईयों को स्टाम्प ड्यूटी/निबंधन शुल्क तथा लैण्ड कनभरजन शुल्क/Change in land use में उपलब्ध करायी गयी पोस्ट प्रोडक्शन प्रतिपूर्ति की सुविधा के बदले Pre-production exemption की सुविधा प्रदान किया जाए :—**

औद्योगिक प्रोत्साहन नीतियों यथा 2006, 2011 के अन्तर्गत Stamp Duty/Registration fee and Land conversion fee/Change in land use fee 100 प्रतिशत exempted थी परन्तु बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 की कंडिका 6 (vii) में से प्रतिपूर्ति के रूप में वह Post production stage में उपलब्ध करायी गयी है । हमारा सुझाव है कि चूंकि Stamp duty, Registration fee and Land conversion fee/change in land use fee की आवश्यकता उद्योग स्थापना के सबसे प्रथम चरण में होती है जिस समय इकाई को बैंक आदि से कोई ऋण भी उपलब्ध नहीं हो पाता है । ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि Stamp Duty/Registration fee and Land conversion fee/Change in land use fee से पूर्व की नीतियों की भांति शत—प्रतिशत छूट के रूप में Pre-production stage में ही उपलब्ध करायी जाय ।

(2) **राज्य सरकार तथा इसके विभिन्न उपक्रमों में होनेवाली खरीद में स्थानीय उद्योगों की भागीदारी सुनिश्चित करने का अनुरोध :—**

i. औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 में खरीद नीति से सम्बन्धित कुछ प्रावधान की व्याख्या की गयी है । MSME प्रक्षेत्र के Manufacturing sector के उद्योगों के लिए turn over में 50% के relaxation देने की घोषणा है । बहुत से निविदा में turn over की सीमा 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ या इससे अधिक की निर्धारित रहती

क्रमशः........2

है । ऐसी स्थिति में 50% relaxation की सीमा देने से भी राज्य के MSME प्रक्षेत्र की इकाईयां लाभान्वित नहीं होगी, निविदा में भाग लेने से वंचित रह जायेगी । अत: आवश्यक है कि टर्न ओभर relaxation की सीमा को 50% से बढ़ा कर 90 % कर दिया जाय । पुन: इकाई के अनुभव (Age) के लिए भी 50% relaxation दिए जाने का प्रावधान है इस कारण नई स्थापित होने वाली इकाईयां निविदा में भाग लेने से वंचित रह जाती है । अत: हमलोगों का सुझाव है कि इकाई के अनुभव (Age) सम्बन्धित प्रावधान को राज्य के MSME प्रक्षेत्र की इकाईयों के लिए समाप्त किया जाय ।

ii. औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के कंडिका 7 के अन्तर्गत राज्य में MSME उद्योगों को राज्य के बाहर अवस्थित उद्योगों से प्रतिस्पर्धा करने एवं बढ़ावा देने के लिए L1 से 15% Price Range में Bid करने पर वैसे स्थानीय उद्योगों को कुल ऑर्डर का 15% ऑर्डर L1 की रेट पर देने की व्यवस्था की गई है ।

इस संबंध में हमलोगों का सुझाव है कि राज्य में अवस्थित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए L1 से 10% Price Range में Bid करने पर कुल आर्डर का 30% आर्डर Bid की गयी रेट पर (जो कि L1 से अधिकतम 10% रहेगी) राज्य में अवस्थित उद्योगों को दिया जाना चाहिए ताकि राज्य में उद्योगों का विकास हो एवं बाहर के निवेशक भी आकर्षित हो सकें ।

(3) **<u>GST का Reimbursement के संबंध में :–</u>**

1 जुलाई 2017 से राज्य द्वारा लगाए गए VAT एवं Entry Tax Goods & Service Tax (GST) में समाविष्ट हो गए हैं लेकिन उद्योगों को मिलनेवाली वैट प्रतिपूर्ति के बदले अभी तक GST के अन्तर्गत मिलनेवाली प्रतिपूर्ति से संबंधित कोई नीति निर्धारित नहीं हो पाने के कारण इसका भुगतान लंबित है ।

(4) **<u>वस्तु एवं सेवा कर (GST) प्रतिपूर्त्ति सीमा बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में</u> :–**

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अन्तर्गत उद्योगों को प्रतिपूर्ति के रूप में प्राप्त होनेवाली राशि को घटाकर अनुमोदित प्रोजेक्ट का अधिकतम 100% कर दिया गया है हमारा सुझाव है कि जीएसटी प्रतिपूर्ति के रूप में प्राप्त होनेवाली अधिकतम राशि को पूर्व की भांति अनुमोदित प्रोजेक्ट के लागत का 300 % किया जाना चाहिए ।

जीएसटी प्रतिपूर्ति हेतु Raw material, Consumable Stocks के क्रय पर जीएसटी में राज्य के अंश का IGST Component तथा एसजीएसटी को राज्य सरकार के Exchequer में जमा किया जाय एवं उसकी प्रतिपूर्ति की व्यवस्था की जाय ।

क्रमश:.......3

(5) **सूक्ष्म एवं लघु प्रक्षेत्र के इकाईयों के लिए ब्याज अनुदान के विकल्प के रूप में पूंजीगत अनुदान की सुविधा मुहैया कराने का आग्रह :–**

पूर्व के औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत मिल रही पूंजीगत अनुदान की सुविधा को समाप्त करके बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 में ब्याज पर अनुदान के रूप मे प्रोत्साहन दिये जाने का प्रावधान किया गया है । सूक्ष्म एवं लघु श्रेणी के इकाईयों के लिए बैंकों से ऋण प्राप्त करना काफी मुश्किल है । ऐसी परिस्थिति में बैंकों के बजाय इस प्रक्षेत्र के उद्यमी दूसरे स्त्रोतों से पूंजी की व्यवस्था करते हैं जिसके कारण ऐसे उद्यमी/इकाई ब्याज अनुदान सुविधा का लाभ से वंचित रह जाते हैं । हमारा सुझाव है कि सूक्ष्म एवं लघु श्रेणी के उद्योगों को वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में ब्याज पर अनुदान या पूंजीगत अनुदान की सुविधा उपलब्ध करायी जानी चाहिए ।

(6) **दुग्ध प्रसंस्करण उद्योग के विकास हेतु उपयुक्त नीति बनाने का अनुरोध :–**

बिहार राज्य में दूध प्रसंस्करण उद्योग के विकास की काफी सम्भावना है । वर्तमान में राज्य में उत्पादित होनेवाले कुल दूध का मात्र 17 प्रतिशत का प्रसंस्करण किया जा रहा है अतः अनुरोध है कि दूध प्रसंस्करण उद्योग के विकास हेतु बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के कंडिका 3.1 में संशोधन किया जाए जिससे कि दूध प्रसंस्करण के क्षेत्र में निवेश हो सके ।

(7) **उद्योग के भूमि के संबंध में :–**

विगत कुछ वर्षो में राज्य सरकार ने विभिन्न श्रेणी के अपने भूखंड के MVR का पुनर्रीक्षण करते हुए भूखंड की दरें निर्धारित की है परन्तु औद्योगिक भूखंड के लिए अलग से कोई MVR का दर निर्धारित नहीं है । उक्त परिपेक्ष में हमारा सुझाव है कि औद्योगिक भूखंड का अलग वर्गीकरण करते हुए अलग MVR का निर्धारण हो जो कृषि योग्य भूमि के लिए निर्धारित MVR के आस–पास हो ।

(8) **विद्युत संबंधित सुझाव :–**

i. विद्युत की दरें प्रतिस्पर्धात्मक होना चाहिए लेकिन इसकी दर BERC, DISCOMs के Financial Figures के आधार पर तय करती है । अतः सरकार से अनुरोध है कि इसको प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए राज्य में अवस्थित इकाईयों को समुचित Incentive दिया जाना चाहिए ।

ii. बिजली की खपत के लिए संग्रह शुल्क के लिए बिजली आपूर्ति की दर केवल KWH/KVAH के लिए बनायी जानी चाहिए (Tariff of Electric supply should be made single part only by collecting charges for electricity consumed in terms of KWH/KVAH only). अभी KVA एवं KVAH के लिए अलग–अलग शुल्क देना होता है (Unit Consumed plus demand charge) ।

क्रमशः........4

iii. गैर–पारम्परिक उर्जा खास कर सौर उर्जा पर आधारित Captive Power Plant की स्थापना को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है । आज कल Capital Cost पहले की तुलना में कम हो गया है अत: अभी सौर उर्जा का उत्पादन पर ध्यान देना उचित है और जो भी गैर–परम्परागत तरीके से उर्जा का उत्पादन करते हैं उन्हें पूर्व की भांति औद्योगिक प्रोत्साहन नीति में प्रोत्साहन राशि/Subsidy का प्रावधान किया जाना चाहिए । खासकर Roof Top Solar Power Generation एवं DG सेट पर ।

iv. राज्य में जो उद्योग स्थापित होते हैं कभी–कभी किन्हीं कारणवश कुछ समय के लिए नहीं चल पाते हैं वैसी स्थिति में उन पर Monthly Minimum Charges/Minimum Base Energy Charge/Demand/Billing Demand का बोझ पड़ता है । MMC में काफी राहत दी गयी है परन्तु अभी भी Demand Charges पर Minimum भुगतान करना होता है अत: उसमें राहत दी जानी चाहिए जिससे कि किसी अवधि में यदि कोई इकाई नहीं चल पाती है तो इस बोझ से बच सके ।

v. पड़ोसी राज्य झारखंड की भांति बिहार में भी Electricity Duty 2 पैसा प्रति यूनिट किया जाना चाहिए ।

(9) **BIADA से संबंधित सुझाव :–**

i वर्तमान में BIADA द्वारा भूमि का आवंटन Manufacturing Sector के लिए किया जा रहा है परन्तु Investment का प्रस्ताव अन्य Sector तथा Service Sector से भी आ रहा है, पर BIADA से जमीन नहीं मिलने के कारण Investment नहीं हो पा रहा है । अत: राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए यह आवश्यक है कि अन्य सेक्टर के लिए भी भूमि आवंटन पर विचार कर निर्णय लिया जाना चाहिए ।

ii राज्य में औद्योगिकीकरण को गति प्रदान करने के लिए यह अति आवश्यक है कि सभी प्रकार के विनिर्माण क्षेत्र के उद्योगों चाहे वह प्राथमिकता वाले क्षेत्र में चिन्हित हों अथवा गैर प्राथमिकता वाले, उन्हें प्रोत्साहित किया जाये क्योंकि वर्तमान में भूखंडों के आवंटन में भेद–भाव का प्रतिकूल प्रभाव औद्योगिक निवेश पर पड़ रहा है । अत: हमारा सुझाव है कि भूखंडों के आवंटन में कोई भेद–भाव नहीं किया जाए जिससे कि प्राथमिकता एवं गैर प्राथमिकता दोनों प्रकार के विनिर्माण उद्योगों को समान अवसर प्राप्त हो सके ।

iiii BIADA द्वारा सुक्ष्म, एवं लघु प्रक्षेत्र के उद्योगों को भूमि आवंटन किये जाने के बाद 10% राशि 15 दिनों के अन्दर जमा करनी होती थी एवं 90% राशि को 20 बराबर अर्द्धवार्षिक किस्तों में बगैर किसी सूद के लिया जाता था लेकिन हाल में बियाडा द्वारा

क्रमशः........5

निर्गत एक कार्यालय आदेश के द्वारा उक्त भुगतान योजना में परिवर्तन करते हुए सुक्ष्म एवं लघु प्रक्षेत्र के उद्योगों को उपलब्ध करायी गई रियायत को खत्म कर दिया गया है। नये आदेश के अनुसार अब सभी प्रक्षेत्र के उद्योगों को चाहे वो सूक्ष्म या लघु प्रक्षेत्र के श्रेणी में हो अथवा मध्यम एवं वृहत प्रक्षेत्र में, उन्हें भूखंड आवंटन के बाद पहली किस्त के रूप में भूखंड के मूल्य का 30 प्रतिशत भुगतान करना पड़ेगा, जबकि शेष राशि का भुगतान 7 वार्षिक किस्तों में 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ करने का प्रावधान किया गया है । बियाडा द्वारा सूक्ष्म एवं लघु प्रक्षेत्र के उद्योगों को आवंटित भूखण्ड के मूल्य के भुगतान की पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया को पुन: लागू किया जाना चाहिए ।

iv बियाडा द्वारा औद्योगिक इकाईयों को आवंटित भूमि को उत्पादन में आने के कुछ वर्षों के उपरान्त उस इकाईयों के भूमि को फ्री होल्ड में स्थानान्तरित करने का प्रावधान किया जाना चाहिए ।

(10) **उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में :–**

राज्य में बैंकों के नकारात्मक सोच के कारण उद्योगों को बैंकों से ऋण मिलने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है तथा समय पर बैंकों से ऋण नहीं मिलने का प्रतिकूल प्रभाव उद्योग के विकास पर पड़ता है । अत: राज्य सरकार को राज्य के वित्तीय निगमों द्वारा उद्योगों को सहजता से ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था किया जाना चाहिए ।

(11) MSME Act 2006 (Micro Small Medium Enterprises Development Act 2006) की धारा 2(e) के अन्तर्गत MSME को परिभाषित किया गया है अत: हमलोगों का आग्रह है कि औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अन्तर्गत MSME को दिये जानेवाले सुविधा/प्रोत्साहन को उपरोक्त परिभाषित सभी इकाइयों को दिया जाना चाहिए ।

****